संख्या 2949/चालीस-रा0एकी0-25/3/76

प्रेषक,

श्री एस0पी0आर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त जिला जज,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 9 नवम्बर, 1977

विषय:- उर्दू की वैकल्पिक/प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित हुये राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सरकारी ड्यूटी पर माने जाने के संबंध में ।

******

महोदय,

शासनादेश संख्या 7370/रा0एकी0-25/3/76, दिनांक 5 जनवरी, 1977 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 1977 में जो राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुये थे उन्हें वित्त नियमावली खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(6)(b) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जाना चाहिये । अतः राज्यपाल महोदय उपरोक्त प्रकार के परीक्षार्थियों की नियुक्ति के स्थान से परीक्षा केन्द्र तक तथा वहाँ से तैनाती के स्थान तक वापस आने तक की अवधि (अधिकतम तीन दिन) को सरकारी ड्यूटी के रूप में मान लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है । उपर्युक्त ड्यूटी अवधि में उन्हें मू0नि0 20 के अनुसार वही वेतन एवं मँहगाई भत्ता देय होगा जो उन्हें अन्यथा ड्यूटी पर अनुमन्य होता ।

-2

2- यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 की सहमति से, जो उनके अशासकीय पत्र संख्या जी(1)-2118/दस-77, दिनांक 3 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्राप्त की गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(एस0पी0आर्य)
उप सचिव

सं0 2949(1)/चालीस-र10एकी0-25/3/76तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग
2- वित्त (सामान्य-4) अनुभाग ।
3- वित्त (सामान्य-1) अनुभाग

आज्ञा से,

(एस0पी0आर्य)
उप सचिव

सं0 2949(2)/चालीस-र10एकी0-25/3/76तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 आर्य)
उप सचिव ।